राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :– 24 / 2021

निर्णय दिनांक :– 30/9/2022

प्रार्थी :–

मांगीलाल पुत्र श्री रूपारामजी उम्र–33 वर्ष, मेघवाल, निवासी–मेघवालों का बडा बास रामदेवजी मंदिर के पीछे नाडोल, तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राजस्थान

बनाम

अप्रार्थी :–

हेमराज पुत्र अमरारामजी, उम्र–65 वर्ष, जाति–मेघवाल, निवासी–मेघवालों को बडा बास नाडोल, तहसील–देसूरी, जिला–पाली राजस्थान

(वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

–:प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा–39, नियम 1 व 2 सी.पी.सी. व धारा 151 सी.पी.सी :–

उपस्थिति:–

1. अधिवक्ता सुशील कुमार दवे प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता मनोहरदास वैष्णव अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय **दिनांक :– 30/9/2022**

1– संक्षेप मे प्रकरण हाजा के तथ्य इस प्रकार है कि–प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा–39, नियम 1 व 2 सी.पी.सी. व धारा 151 सी.पी.सी के तहत विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम नाडोल चक द्वितीय, पटवार हल्का नाडोल–2, भू. अभि. नि. नाडोल तहसील देसूरी, जिला–पाली में खसरा नंबर 3524 रकबा 0.5100 हेक्टर, खसरा नम्बर 5102, रकबा 0.1400 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरे–2 कुल क्षेत्रफल 0.6500 प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारीसुदा कृषि भूमि विद्यमान है।

2– उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी के पिता रूपारामजी द्वारा मौके पर केलूपोस के तीन कमरे कच्चे पक्के बनाए हुए है व बेराखुदाया हुआ है। तथा प्रार्थी के पिता रूपारामजी अपने जीवनकाल में कृषि कार्य करते आ रहे हैं। प्रार्थी के पिता रूपारामजी की मृत्यु दिनांक 21.06.2013 को हो चुकी है। रूपारामजी की मृत्यु के पश्चात वारिसान के रूप में प्रार्थी तथा प्रार्थी की सगी बहिन पुष्पा, रतनी, जमनो का नाम जरिए फौतदगी म्यूटेशन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। जमनो, रतनी, पुष्पा जो की प्रार्थी की सगी बहने हैं।

3– यह कि प्रार्थी के पिता रूपारामजी की अंतिम समय में तबीयत ठीक नहीं होने के कारण अप्रार्थी हेमराज को उक्त कृषि भूमि तीसरी [illegible] में कृषि कार्य करने हेतु दी गई थी तथा प्रार्थी के पिता रूपारामजी [illegible] कृषि कार्य करने हेतु प्रार्थी द्वारा मना कर दिया गया था [illegible] भूमि पर कृषि कार्य [illegible] रहा है। अप्रार्थी हेमराज जो की प्रार्थी की तथा प्रार्थी [illegible] सगी बहिनों की उक्त [illegible] को हडपने की नियत से बार–बार प्रार्थी के साथ लडाई झगडा व गाली गलौच करता आ रहा है तथा जोर–जबरदस्ती उक्त कृषि भूमि को हडप करने पर आमादा रहता है। तथा

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर

(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:46 IST
Reason: SelfAttested

पर आने से भी मना कर देता है। एवं प्रार्थी द्वारा कृषि कार्य करने प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि पर आने से भी मना कर देता है। एवं प्रार्थी द्वारा कृषि कार्य करने पर जाने से खत्म करने की ऐलानिया धमकिया दे रहा है। इस कारण प्रार्थी द्वारा जरिए वकील एक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 14.01.2021 को भेजा गया जिसका आजदिनांक तक कोई जबाव नही आया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त कृषि भूमि को हड़पने व नुकसान पहुंचाने बाबत व फायसा गाली गलौच व लड़ाई झगड़ा करने बाबत एक रिपोर्ट दिनांक 02.06.2021 को जरिए डाक व स्वयं द्वारा पुलिस थाना रानी व पुलिस अधीक्षक महोदय पाली को भेजी गई हैं। जो की कोरोना महामारी के कारण विचाराधीन है। इससे पूर्व भी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध आनलाईन शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमें पुलिस चौकी नाडोल में इस शर्त पर राजीनामा किया गया था की अप्रार्थी द्वारा गैर कानूनी रूप से उक्त कृषि भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा और न ही प्रार्थी के साथ लड़ाई–झगड़ा व मारपीट करेगा, फिर भी अप्रार्थी अपनी हठधर्मिता पर बना हुआ है उक्त कृषि भूमि को हड़प करने पर आमादा है। जबकि राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी व उसकी सगी बहनों का ही नाम जरिए फौतदगी म्यूटेशन राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

4– यह कि प्रार्थी अपनी सगी बहनों की मौखिक सहमति से उक्त कृषि भूमि कार्य व देखभाल करता आ रहा है। प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में हैं तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, मौके पर लडाई–झगडा होने तथा प्रकरणों की संख्या बढ जायेगी और अनहोनी घटनाये हो सकती है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे की अप्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि में न तो स्वयं दखलन्दाजी करें और न ही किसी अन्य के जरिए करावे और उक्त कृषि भूमि को हड़प करने की व अतिक्रमण करने की कोशिश नहीं करे और न ही उक्त कृषि भूमि में कोई निर्माण कार्य करें एवं ना ही उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्य कर करें और न ही उक्त कृषि भूमि बाबत कोई विवाद लड़ाई–झगडा व फायसा गाली–गलौच न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से कराने के आदेश फरमावे।

5– प्रार्थना पत्र प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोहर दास वैष्णव ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु समय चाहा गया जो न्यायहित में समय दिया गया।

6– अप्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई। अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी की ओर से निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की आराजियात सरहद मौजा ग्राम नाडोल, पटवार हल्का–नाडोल–2 में आई हुई है उक्त आराजी पर अप्रार्थी का काफी वर्षो से कब्जा व काश्त चला आ रहा है उक्त भूमि पर प्रार्थी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। प्रार्थी के स्व. पिताजी रूपारामजी के जीवनकाल के पूर्व से अप्रार्थी का कब्जा काश्त बिना किसी दखलन्दाजी के चला [illegible] में प्रार्थी के पिता रूपारामजी ने कुआ खुदवाया था जो वर्तमान मे तेड है। [illegible] ता द्वारा कोई कच्चा या पक्का केलूपोस कमरे नहीं बनाए गए है [illegible] जरूरत होने से उक्त भूमि अपने जीवनकाल दिनांक 14.5.1992 [illegible] बेचान कर दी थी लेकिन जमीन पर बैंक का ऋण होने से प्रार्थी के पिता रूपारामजी [illegible] अप्रार्थी के पक्ष में रजिस्टरी नहीं करवा सके। प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में बैंक की राशि जमा करवा कर रजिस्टरी करवाने का इकरार किया था जमीन का कब्जा मौके पर अप्रार्थी को सुपुर्द किया था। तब से अप्रार्थी का शातिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं अप्रार्थी ने अपनी भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:46 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

को काफी लागत लगाकर उपजाऊ बनाया है व काफी रूपये खर्च किए है और मौके पर काबिज है। रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार प्रार्थी काबिज नही है। प्रार्थी के पिताजी रूपारामजी का देहांत हो चुका है। अब प्रार्थी व प्रार्थी के बहिनों की नियत मे फर्क आ गया है एवं अप्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करना चाहते है जिससे गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो काबिल निरस्त के है। अप्रार्थी ने कभी भी प्रार्थी व प्रार्थी की बहिनों के साथ मे लडाई झगडा नही किया है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश किया है।

7– कि वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी ने उपजाऊ बनाया व भूमि में कई सुधार कार्य किए है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में आने से प्रार्थी की नीयत में फर्क आ गया है एवं अप्रार्थी की खरीद शुदा भूमि लेना चाहता है। वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी व प्रार्थी की बहिनों का कोई हक व अधिकार नहीं है एवं मौके पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त नहीं है। अप्रार्थी ने प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं की है। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजियात में किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थी का उक्त आराजी पर एडवर्स पजेशन है जो खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकारी है। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजियात में मौके पर उक्त हिस्से के अनुसार कब्जा काश्त नहीं होने से अप्रार्थी द्वारा दखलन्दाजी का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अतः प्रार्थी किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर एवं अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया जो काबिज खारिज के है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है तथा प्रार्थी पर अपूरणीय क्षति का सिद्धांत लागु नहीं होता है। अप्रार्थी को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा के रोका गया तो अप्रार्थी अपने विधिक हक व अधिकारों से वंचित कर जावेगा एवं अप्रार्थी को काफी अकथनीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति रूपयो पैसो में नहीं आंकी जा सकेगी। अपूरणीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थी पर लागू नहीं होता है। मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय संगत नहीं होगा। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मैन्टेनेबल नहीं होने से खारिज योग्य है अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमावे।

8– प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं उनकी सगी बहनों की पुश्तैनी खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि है जो उनके पिता रूपाराम के स्वर्गवास होने से जरिये फौतेदगी नामान्तकरण से उन्हे प्राप्त हुई। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी संलग्न है। उक्त आराजी अप्रार्थी को प्रार्थी के पिता ने मात्र तीसरी पोती भोग में कृषि कार्य करने हेतु दी गई थी। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद से उक्त भूमि पर कृषि कार्य स्वयं प्रार्थी करता आ रहा है। उक्त भूमि प्रार्थी व उनकी सगी बहनो की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें अप्रार्थी का कोई हक अधि[illegible] उक्त भूमि को हडपने की नियत से बार–बार प्रार्थी के साथ लडाई–झगड[illegible] करने पर आमदा है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा से रोके जाने का निवेदन किया। [illegible] भी अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दाहराते हुए कथन किया [illegible] उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता रूपाराम ने अप्रार्थी को बेचान कर दी थी। लेकिन उक्त भूमि पर ऋण होने के कारण अप्रार्थी के पक्ष मे रजिस्ट्री नहीं करवा सके। लेकिन जमीन का कब्जा मौके पर अप्रार्थी को सुपुर्द किया था तब से अप्रार्थी का उक्त आराजी पर शातिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा

पेज लगातार 04 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

है। उक्त खरीदसुदा भूमि पर अप्रार्थी ने काफी रूपये खर्च कर उपजाऊ बनाया है मात्र राजस्व में प्रार्थी का नाम आने से गलत नियत से अप्रार्थी की खरीदसुदा भूमि लेना चाहता है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी व प्रार्थी की सगी बहनों का कोई हक व अधिकार नहीं है ना ही मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। अगर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका गया तो अप्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

9– बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने, पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं प्रार्थी के सगी बहनों की पुश्तैनी खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि है। प्रार्थी उक्त वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। जिसमें अप्रार्थी का कोई हक अधिकार निहित नहीं है। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं वाद–विवाद बढेगें। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति न्याय के तीनों सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होना जाहिर होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से न्यायालय की राय में प्रार्थी का यह अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता है। अतएवं

<u>आदेश</u>

प्रार्थी मांगीलाल पुत्र रूपाराम का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी हेमाराम पुत्र अमराराम के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि मूल वाद के निर्णय तक मौजा ग्राम नाडोल चक द्वितीय, पटवार हल्का नाडोल–2, भू.अ.नि.–नाडोल, तहसील–देसूरी, के खसरा नंबर 3524 रकबा 0.5100 हेक्टर, खसरा नम्बर 5102, रकबा 0.1400 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरे–2 कुल क्षेत्रफल 0.6500 हेक्टर की खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थी न तो स्वयं हस्तक्षेप, दखलन्दाजी करें और न ही किसी अन्य के जरिए करावे और उक्त कृषि भूमि को हड़प करने की व अतिक्रमण करने की कोशिश नहीं करे ना ही उक्त कृषि भूमि में कोई निर्माण कार्य करें एवं ना ही उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्य करें तथा उक्त कृषि भूमि बाबत कोई विवाद लड़ाई–झगडा न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
देसूरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:46 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30/9/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)